

राजस्थान-सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)  
(प्रशासन गावों के संग अभियान 2021 फोलोअप कैम्प 20/5/22)

राजस्व प्रकरण प्रार्थना पत्र सं. - 144/22

GCMS NO- 2022/252

किस्म मुकदमा :- अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

-उनवान-

रत्नीपुत्रा

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना

-:निर्णय:-

दिनांक : 20/5/22

प्रार्थी के 'नाम दुरुस्ती' प्रार्थना पत्र, प्रार्थी प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार बुहाना व पटवारी हल्का के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

| क्र.सं. | ग्राम   | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|---------|---------|-------------|--------------------------------------|--|
| 1       | मेघपुरा | 47          | भारताराम पुत्र गुजग                  | प्रमारी पुत्र गुजग   |
|         |         | 101         | भारताराम पुत्र गुजग                  | प्रमारी पुत्र गुजग   |
|         |         | 103         | भारताराम पुत्र गुजग                  | प्रमारी पुत्र गुजग   |

(राजस्थान उपखण्ड अधिकारी)  
एवं उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)

क्रमांक :- राजस्व/2022/ 162

दिनांक :- 20/5/22

प्रतिलिपि :- तहसीलदार बुहाना को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर सात दिवस में पालना रिपोर्ट भिजवायें।

उपखण्ड अधिकारी  
एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)